भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 142

सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक)

शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी

142. श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर अप्रैल के 17.2 प्रतिशत से बढ़कर मई में 17.9 प्रतिशत हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार 2024 से अब तक बेरोजगारी दर को नियंत्रित करने में सक्षम रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी उद्योगवार/क्षेत्रकवार/वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा रोजगार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 6.0% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है।

इसके साथ-साथ, नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 7.7% से घटकर वर्ष 2023-24 में 5.1% हो गई है।

इसके अलावा, एमओएसपीआई ने जनवरी 2025 से पीएलएफएस को नया रूप दिया है। मासिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) पर बेरोजगारी दर (यूआर) अप्रैल 2025 में 6.5% और मई 2025 में 6.9% थी। ज्यादा आवृत्ति और मौसमी बदलावों के मद्देनजर मासिक पीएलएफएस अनुपात में परिवर्तन की उम्मीद बनी रहती है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह दीर्घकालिक प्रवृत्ति (सैकुयलर ट्रैंड) को प्रतिबिंबित करें।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

2015 से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) अपनी प्रमुख योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग प्रदान करना है ताकि युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल से सक्षम बनाकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार सृजन को समर्थन देने, सभी क्षेत्रों में नियोजनीयता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। दिनांक 30.06.2025 तक, एनसीएस पोर्टल पर 6.2 करोड़ से अधिक रिक्तियां (जिसमें अन्य के साथ-साथ सरकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं) जुटाई गई हैं।

****